

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत महायुक्त कुलकर्णी एवं S.D.O. मुकाम वाशु

लक्ष्मणराय बनाम दुमानाराय कर्वे

किस्म मुकदमा वा. क्र. 111,128 RURAet नं. 08/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/01/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>युनाराम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RURAet</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।</p>	
25/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के</p> <p>नोटिस तामिल कर म तामिल कर प्राप्त। भीम</p> <p>पत्रावली, कश्चिन्तरी रिगट डायरी में एकत्र</p> <p>होने के विशाल इल्लवा होडा निगामी</p> <p>दिनांक 28/05/19 को पेश हो।</p>	
28/05/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के</p> <p>नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे तामिल</p> <p>पत्रावली हीमा गया। विप्रार्थी/वादी का कडुस तामिल</p> <p>अनुपस्थित। न्यायालय समूह लेन वाट आवाज</p> <p>लगाई गई, अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई</p> <p>गई, विप्रार्थी/वादी स्वयं या उनकी ओर से</p> <p>कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ सिधुजा</p> <p>उनके विरुद्ध एडवोकेट कर्मचारी प्रमल में कार्य</p> <p>जाली हो प्रतः वास्ते लहस पत्रावली दिनांक</p> <p>10/06/19 को पेश हो।</p>	

18/06/19

पार्थी व डील उपलब्ध। रिपोर्टिंग बावजूद
 तामिल अनुसंधान। पार्थी के अधिकारों की उच्च-
 पक्षीय कदम सुनी गई। पार्थी के अधिकारों ने बलका
 ही पार्थी को अपने प्यारे-प्यारी खेलों के चारों ओर
 पकड़े ने बलका स्थापित इतना आवश्यक है। इसलिए
 पार्थी का ने बलका स्वीकार स्वीकार हीमा जाइए
 ने बलका स्वीकार हीमा जावे।

अतः, पार्थी अधिकारों के निवेदन
 पर पार्थी का ने बलका स्वीकार स्वीकार हीमा
 जाइए तब हीलाइए ~~किसी~~ गिरा की इतिहास निबुद्ध
 हीमा जाता है। व स्वीकार स्वीकार हीमा जाइए कि
 आप स्वयं या अपने अधिकारों हीमा भी भू
 अधिकारों निरिहता से पार्थी के प्यारे-प्यारी खेलों
 ही पकड़ी ने बलका स्वीकार स्वीकार हीमा जाइए
 इतने। पालना रिपोर्ट आप हीने पर आफिल प्रभावी
 ही प्रभावी फौसल सुभाइ ही दर्ज नंबर नि 3म
 ही दाखिल दफतर ही।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/.....320

दिनांक:- 18/06/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लाखाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 8 जाति जाट निवासी मानपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. हनुमानाराम पुत्र हीराराम वगैरा 23 जाति जाट निवासी मानपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 08/19

आदेश

मौजा ग्राम मानपुरा खारड़ा व रामपुरा खारड़ा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 201व109 रकबा 38-07 व 52-06 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

दिनांक: 18/06/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण लाखाराम पुत्र चेनाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हनुमानाराम पुत्र हीराराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर